यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होंगी।

कार्यालय **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, पिथौरागढ़** के माह **जून 2013** से **जनवरी 2017** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन **जो श्री प्रमोद कुमार चौधरी व.ले.प. एवं श्री अजय कुमार संचान** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **20.02.2017** से **28.02.2017** तक **श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–एक

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस. के. डग, पर्यवेक्षक एवं श्री प्रेमचन्द सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.06.2013 से 15.06.2013 तक श्री..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 2000 से 05/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2013 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संलग्न
   (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)
   (ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (–)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013–14	–	–	60.29	53.25	87.90	87.90	–	7.04
2014–15	–	–	109.18	93.07	199.13	199.13	–	16.11
2015–16	–	–	73.62	65.51	208.47	203.52	–	13.06

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय ₹	बचत (–) ₹
2013–14	पायका	13.54	176.00	13.98	175.56
2014–15		175.56	39.62	182.24	32.94
2015–16		32.94	21.38	35.28	18.94

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय।)

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'B' श्रेणी (जिस श्रेणी के अर्न्तगत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः (संलग्न)

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाए)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में .....

(अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन–जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाए) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहें है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, पिथौरागढ़ (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाए) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह अगस्त 2014 एवं मार्च 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।.....(जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाए) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन..... .....(प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाए) के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1:– नमूना जांच वर्ष 2015–16 की अवधि में तैनाती स्वयं सेवकों पर ₹ 58.03 लाख व्यय के बावजूद उद्देश्य की पूर्ति नहीं पाया जाना।

प्रदेश के ग्रामीण अंचल में निवास करने वाली युवा शक्ति को नैतिक समन्वय प्रदान करने तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग की स्थापना की गयी।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में उक्त कार्यालय के अर्न्तगत वर्ष 2015–16 के दौरान समाजसेवा/शान्ति सुरक्षा कार्य पर प्रान्तीय रक्षक दल की तैनाती पर ₹ 58.03 लाख व्यय किया गया। जिसमें मार्ग निर्देशिका के अनुसार निम्न बिन्दुओं का पालन नहीं किया जा रहा था।

1. रोस्टर के माध्यम से ग्रामीण युवा को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से सभी पंजीकृत एवं प्रशिक्षित पी. आर. डी. को रोजगार प्रदान करना।
2. प्रान्तीय रक्षक दल की स्वयं सेवकों की संख्या आवंटित नम्बर से सुनिश्चित करना।
3. प्रशिक्षित प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों की तैनाती किया जाना।
4. स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्ते का भुगतान युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विभाग के माध्यम से किया जाना।
5. स्वयं सेवकों के आत्मनिर्भर होने के लिये रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि शीघ्र ही रोस्टर प्रभावी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। प्रशिक्षित प्रा. र. द. जवानों को बेल्ट नम्बर आवंटित किये जायेंगें। बिन्दु सं. 3 की कार्यवाही की जा रही है तथा बिन्दु सं. 05 के संबंध में बजट अभाव बताया गया।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि उपलब्ध आंकड़ों में 350 के सापेक्ष 184 स्वयं सेवकों को रोजगार उपलब्ध कराये गये न ही रोस्टर सुनिश्चित किया गया, न ही आवंटित नम्बर से प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की **पहचान सुनिश्चित की गयी। मार्ग निर्देशिका के विरूद्ध 23 अप्रशिक्षित स्वयं सेवको की** तैनाती की गयी। रोजगारपरक प्रशिक्षण, जो योजना का मूल उद्देश्य था, जनपद में अप्रभावी पाया गया।

अतः योजना के संचालन में कमी का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2:– विधायक निधि से ₹ 13.65 लाख का अनियमित एवं व्ययाधिक्य।

इकाई द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु विधायक निधि/सांसद निधि एवं ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता तथा विकास खण्डों के प्रयोगार्थ खेल सामग्री/उपकरण क्रय करने हेतु 06 अगस्त 2016 को खोली गई निविदा में मैं गौरव ट्रेडर्स, मैं पुनेष स्पोर्टस तथा मैं **त्रिलो**चन एण्ड सन्स स्पोर्टस पिथौरागढ़ को विभिन्न सामग्री की आपूर्ति हेतु अनुबन्धित किया गया।

विधायक निधि **से** क्रय की **गयी** सामग्री के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विधायक निधि से ₹ 29.90 लाख के क्रिकेट सेट एवं ट्रैक सूट क्रय किये गये। क्रिकेट किट ₹ 18000/–की दर से एवं ट्रैक सूट ₹ 1000/–की दर से क्रय किये गये जबकि निविदा के अनुसार क्रिकेट सेट की न्यूनतम कीमत ₹ 10,000/–एवं ट्रैक सूट की न्यूनतम कीमत ₹ 750–/थी। फलस्वरूप उतनी ही सामग्री पर ₹ 13.65 लाख अधिक व्यय किये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा सार्वजनिक धन को व्यय करते समय न्यूनतम मूल्य सम्बन्धी नियम का पालन कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित न किये जाने को इंगित करने पर इकाई ने उत्तर दिया कि क्रय वस्तुतः माननीय विधायकों के निर्देशानुसार किया गया हैं। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि विधायक अवमुक्त किये जाने वाले आदेशों में वित्तीय हस्त पुस्तिका के 606 नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुपालन किये जाने सम्बन्धी स्पष्ट आदेश दिये गये हैं न कि माननीय विधायक महोदय के निर्देशानुसार ।

अतः विधायक निधि से सामग्री क्रय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन **न किये जाने तथा रू 13.65 लाख के अनियमित** एवं व्ययाधिक्य का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3ः– अनियमित भुगतान ₹ 2.37 लाख। प्राप्ति व भुगतान नियमावली 1983 के नियम 11 (1) के अनुसार शासकीय धन का लेन–देन चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला युवा कल्याण व प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, पिथौरागढ़ के राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2015–16 की अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 2.37 लाख की धनराशि आयोजन के प्रतिभागियों को निम्नवत् वितरित की गयी–

क्रमं सं.	वितरणकर्त्ता का विवरण	प्रतिभागियों को भुगतान की गयी राशि	भुगतान का तरीका
1.	सर्व श्री बसंत सिंह बेलाल (बी. ओ. पी. आर. डी.)	31,470	नगद
2.	आशीष पाण्डेय (कनिष्ठ सहायक)	56,970	नगद
3.	हेमा पाण्डे (बी. ओ. पी. आर. डी.)	94,200	नगद
4.	दीपक चन्द्र भट्ट (बी. ओ. पी. आर. डी.)	54,560	नगद
	योग	**2,37,200.00**	

जांच में पाया गया कि प्रतिभागी पर आने वाले व्यय का भुगतान प्रतिभागियों को चैक द्वारा न कर नगद भुगतान **से** किया गया। भुगतान के उपरांत जो अवशेष राशि वापसी हुई, उसका कैश–बुक में प्रविष्टि किया जाना नहीं पाया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संबंधित प्रकरणों का अनुपालन वित्तीय नियमावली के तहत भविष्य में सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि वित्तीय नियमावली के तहत चैक द्वारा भुगतान करने की दशा में वास्तविक लाभार्थी की पुष्टि की जा सकती थी, जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 4:– ब्याज की धनराशि ₹ 0.63 लाख को सुसंगत खाते में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1224/XI/14/56/(08) 2C13 दिनांक 12 मई 2014 के द्वारा विधायक निधि के अर्न्तगत प्राप्त ब्याज की धनराशियों को राजकोष में लेखाशीर्ष 0049–ब्याज प्राप्ति –04– अन्य प्राप्तियां –800– अन्य प्राप्तियां –12– अन्य प्रकीर्ण प्राप्तिया –01 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां नियमानुसार जमा करने का आदेश दिया गया था।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विधायक निधि पर अर्जित ब्याज ₹ 63473.00 को सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया गया है। अपितु ब्याज प्राप्ति से ₹ 37934.00 की धनराशि व्यय की जा चुकी है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने त्रुटि को सुधार कर ब्याज की धनराशि को सुसंगत खाते में जमा करने की बात स्वीकार की है जिससे लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि हो जाती है।

अतः विधायक निधि पर अर्जित ब्याज को सुसंगत खाते में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:– ₹ 13,128/– TDS की कटौती न किया जाना।

आयकर की धारा 194 C के अनुसार एकल भुगतान ₹ 30,000/–एवं कुल वार्षिक भुगतान किये जाने की स्थिति में कुल भुगतान पर TDS की कटौती की जानी चाहिए।

इकाई के व्यय वाउचर्स की जांच में पाया गया कि माह मार्च 2016 में एम.के. स्पोर्टस को ₹ 4,80,000/–एवं यू.पी. हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को ₹ 1,76,400/–का भुगतान किया गया। जिस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत की TDS की धनराशि ₹ 13,128/–कटौती नहीं की गई है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने स्वीकार किया कि त्रुटिवश TDS की कटौती नहीं की जा सकी एवं सम्बन्धित फर्मो से आयकर भुगतान की जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जायेगी।

अतः ₹ 13,128/–की TDS की कटौती न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग–तीन

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाए)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–दो 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–दो 'ब' प्रस्तर संख्या
11/2013–14	शून्य	02 एवं 03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग– चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय)

भाग–पाँच

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i)
   (ii) शून्य
   (iii)
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
   (ii)
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं.	नाम	पदनाम
(i)	श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय	जिला यु.क. एवं प्रा. र. दल अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी